

5/192

लाहौर

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

द्वारा

10/24

18/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उपखण्ड हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 18/11/24 को पेश हो

पत्रावली पेश। अधि-प्रमाण दायित्व/ कर्तव्य है। 1. 10 के लिए कि अधिक है कु है, 9 व पूरे शामिल दायित्व नहीं। अधि: कर्तव्य है। 1. 10 के लिए एकर रक्षा कार्यवशी असल में लाई जाती है। बहम अधि एकर स्थिति प्रमाण कुनी गई। बहम पर कर्तव्य किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रमाण में प्रमाणों के लिए निहित है। लाहौर में वाद विवादित भूमि के रिपोर्ट के माँके के अस्थास्थिति में परिवर्तन करने पर प्रमाणों के लिए प्रमाण है सके है। अधि: लाहौर में अस्थास्थिति बनाये रखे जाके वाक्य पाकन किमा जाना आधार है। अधि: कर्तव्य प्रमाण के लिए अस्थास्थिति निषेधाज्ञा के अन्तर्गत रूप है पाकन किया जाता है कि वाद विवादित भूमि क्र नं. 438/1176 व 439/1177 कुल किरा 02 कुल रकबा 2-2900 ईमर वाक्य प्रमाण दस्तावेजों सह-वाजिला सीकर (8) अस्थास्थिति माँके करिकों मी अस्थास्थिति बनाये रखे। पत्रावली के ताल कु गार होकर ताल से कर्तव्य। दायित्व दफ्तर है। निगोप आज के दस्तावेज है कुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर